भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **5534** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 27 मार्च, 2026/06 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है

जलयानों के लिए संरक्षण और क्षतिपूर्ति बीमा

†5534. श्री के. सुधाकरन :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पत्तनों पर 300 सकल टन भार (जीआरटी) से कम के विदेशी ध्वज वाले जलयानों के समक्ष 'संरक्षण और क्षतिपूर्ति' (पीएंडआई) बीमा संबंधी आवश्यकताओं से जुड़ी परिचालन चुनौतियों का तमिलनाडु में, और विशेषकर तूतीकोरिन पत्तन के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वाणिज्य पोत परिवहन (पत्तनों, लंगरगाहों और अपतटीय केंद्रों में पोतों की प्रविष्टि का विनियमन) नियम 2012 के नियम 3 और 'मलबा हटाने के संबंध में नैरोबी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (नैरोबी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द रिमूवल ऑफ रेक्स), 2007' के तहत अनिवार्य बीमा आवश्यकताओं को 300 जीआरटी और उससे अधिक के जलयानों तक सीमित रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कथित तौर पर उपर्युक्त सांविधिक सीमाओं के बावजूद, यदि 300 जीआरटी से कम के जलयानों का पीएंडआई बीमा पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदाता द्वारा प्रदत्त नहीं है, तो पत्तन अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रवेश देने से मना किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्टीकरण जारी करने का विचार है कि मालदीव को खाद्य आपूर्ति के परिवहन जैसे आवश्यक व्यापार मार्ग उक्त प्रवर्तन संबंधी अस्पष्टताओं के कारण बाधित न हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): वाणिज्य पोत परिवहन (पत्तनों, लंगरगाहों, अपतटीय सुविधाओं में पोतों के प्रवेश का विनियमन) नियम, 2012 के नियम 3 के अनुसार, 300 सकल टनभार (जीटी) और उससे अधिक के जलयानों को लागू नियामक ढांचे के अनुसार, अनिवार्य रूप से वैध संरक्षण और क्षतिपूर्ति (पीएंडआई) बीमा कवरेज बनाए रखना आवश्यक है।

(ग) और (घ): नौवहन महानिदेशालय को वर्तमान में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यह नोट किया जा सकता है कि वाणिज्य पोत परिवहन (पत्तनों, लंगरगाहों, अपतटीय सुविधाओं में पोतों के प्रवेश का विनियमन) नियम, 2012 के नियम 3 के अनुसार, बीमा कवरेज की आवश्यकता 300 जीटी और उससे अधिक के जलयानों पर लागू होती है। ऐसे जलयानों को समुद्री दावों के लिए बीमा कवरेज बनाए रखना आवश्यक है, चाहे वह इंटरनेशनल ग्रूप ऑफ पीएंडआई क्लब्स (आईजी पीएंडआई ग्रुप) के माध्यम से हो, जो पूर्व-अनुमोदित है, या उक्त नियमों के तहत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य बीमाकर्ता के माध्यम से हो और तदनुसार अधिसूचित हो। उपरोक्त के मद्देनजर, कोई स्पष्टीकरण जारी किया जाना आवश्यक नहीं है।
